2019 का विधेयक संख्यांक 192

[दि चिट फंड्स (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019

चिट फंड अधिनियम, 1982 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम चिट फंड (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

1982 का 40

2. चिट फंड अधिनियम, 1982 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में,--

(i) खंड (ख) में "कुरी" शब्दों के पश्चात् "बंधुता फंड, आवर्ती बचत और प्रत्यय संस्था" शब्द अंतःस्थापित जाएंगे;

(ii) खंड (घ) का लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (ज) का लोप किया जाएगा;

(iv) खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'(ञक) "सकल चिट रकम" से सभी अभिदाताओं द्वारा चिट की किसी किस्त के लिए बट्टा की कोई कटौती किए बिना या अन्यथा संदेय अभिदायों की कुल रकम अभिप्रेत है;

(ञख) "शुद्ध चिट रकम" से सकल चिट रकम और बट्टा के मध्य अंतर अभिप्रेत है और टिकट के भाग की दशा में सकल चिट रकम और टिकट के भाग के आनुपातिक बट्टे के मध्य अंतर अभिप्रेत है तथा जब शुद्ध चिट रकम नकद से अन्यथा देय है तो शुद्ध चिट रकम का मूल्य वह मूल्य होगा जिस समय वह देय हो जाता है;

(v) खंड (ड) का लोप किया जाएगा ।

(vi) खंड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(तक) "बट्टे का शेयर" से चिट की प्रत्येक किस्त पर अभिदाताओं के मध्य आनुपातिक वितरण के लिए चिट करार के अधीन उपलब्ध बट्टे की रकम में अभिदाताओं का शेयर अभिप्रेत है'; ।

कतिपय अन्य पदों द्वारा कतिपय पदों के लिए शब्दों का रखा जाना ।

3. मूल अधिनियम में सर्वत्र,--

(i) "चिट रकम" शब्दों के स्थान पर "सकल चिट रकम" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "लाभांश" शब्द के स्थान पर "बट्टा का अंश" शब्द रखे जाएंगे; और

(iii) "ईनामी रकम" के स्थान पर "शुद्ध चिट रकम" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 11 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"चिट", "चिट फंड", "चिट्टी", "कुरी", "बंधुता फंड" या "आवर्ती बचत और प्रत्यय संस्था" शब्दों का प्रयोग ।

"11. (1) कोई भी व्यक्ति चिट कारबार तब तक नहीं करेगा, जब तक कि वह अपने नाम के भाग के रूप में "चिट", "चिट फंड", "चिट्टी", "कुरी", "बंधुता फंड" या "आवर्ती बचत और प्रत्यय संस्था" शब्दों में से किसी शब्द का प्रयोग नहीं करता है और चिट कारबार करने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई भी व्यक्ति अपने नाम के भाग के रूप में ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं करेगा ।

(2) जहां इस अधिनियम के प्रारंभ पर,--

(क) कोई व्यक्ति अपने नाम के भाग के रूप में ऐसे शब्दों में से, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है, किसी शब्द का प्रयोग किए बिना चिट कारबार कर रहा है ; या

(ख) कोई ऐसा व्यक्ति, जो चिट कारबार नहीं कर रहा है, अपने नाम के भाग के रूप में ऐसे किसी शब्द का प्रयोग कर रहा है,

वहां वह ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि के भीतर, यथास्थिति, ऐसे किसी शब्द

को अपने नाम के भाग के रूप में जोड़ लेगा या ऐसे शब्द को अपने नाम में से हटा देगा :

परंतु यदि राज्य सरकार लोक हित में या किसी कठिनाई से बचने के लिए आवश्यक समझती है, तो वह एक वर्ष की उक्त अवधि को, ऐसी अतिरिक्त अवधि या अवधियों के लिए बढ़ा सकेगी, जो कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक न हो ।" ।

धारा 13 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 13 में,--

(i) उपधारा (1) में "एक लाख रुपये" शब्दों के स्थान पर "तीन लाख रुपये" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में, --

(क) खंड (क) में "छह लाख रुपये" शब्दों के स्थान पर "अट्ठारह लाख रुपये" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ख) में "एक लाख रुपये" शब्दों के स्थान पर "तीन लाख रुपये" शब्द रखे जाएंगे;

धारा 16 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में, "अनुसार और" शब्दों के पश्चात् "वैयक्तिक रूप से या प्रधान द्वारा सम्यक् रूप से अभिलिखित वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 17 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) में,--

(क) "अभिदाताओं द्वारा जो" शब्दों के पश्चात् "वैयक्तिक रूप से या वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु जहां धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन उपस्थित होने के लिए अपेक्षित दो अभिदाता वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हैं, वहां प्रधान, इनाम निकालने की तारीख से दो दिन की अवधि के भीतर कार्यवाहियों के, ऐसे अभिदाताओं के हस्ताक्षरित, कार्यवृत्त रखेगा ।"।

धारा 21 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) में,--

(i) खंड (ख) में "पांच प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सात प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (च) में "और" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iii)) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(चक) अन्य गैर इनामी चिटों में जमा अतिशेष के विरुद्ध अपने धारणाधिकार का प्रयोग करने का हकदार होगा ; और ।"

धारा 85 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 85 के खंड (ख) में, "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "ऐसी रकम, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

चिट फंड अधिनियम, 1982 को चिट फंडों के विनियमन का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो भारत में देशी कारबार है और जिसने निम्न आय वाली गृहस्थियों की वित्तीय आवश्यकताओं की परम्परागत रूप से पूर्ति की है । चिट एक ऐसा तंत्र है जो किसी स्कीम में जमा और बचतों को मिश्रित करता है, जिसमें व्यक्तियों का एक समूह किसी पूर्व अवधारित समयावधि के लिए एक साथ होता है और आवधिक किस्तों के माध्यम से धन की कतिपय राशि का अभिदाय करता है और ऐसा प्रत्येक अभिदाता लाटरी द्वारा या नीलामी द्वारा या निविदा द्वारा या किसी अन्य विनिर्दिष्ट रीति में यथा अवधारित अपनी बारी आने पर संगृहीत राशि प्राप्त करता है । इस प्रकार से वे व्यक्ति, जिनको निधियों की आवश्यकता है और जो बचत करना चाहते हैं, वे अपनी आवश्यकताओं की समकालीन रूप से पूर्ति करने में समर्थ होते हैं ।

2. पूर्व में विभिन्न पणधारियों द्वारा चिट कारबार द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की बाबत चिंताएं अभिव्यक्त की जाती रहीं थी । इसलिए, केंद्रीय सरकार ने चिट फंड के लिए विद्यमान विधिक, विनियामक और संस्थागत ढांचे का और इसकी प्रभावोत्पादकता का पुनर्विलोकन करने के लिए तथा उक्त सेक्टर के सुव्यवस्थित विकास के लिए अपेक्षित विधिक और विनियामक पहल पर सुझाव देने के लिए चिट फंड पर प्रमुख सलाहकारी समूह गठित किया था । प्रमुख सलाहकारी समूह ने चिट कारबार के विनियामक भार को कम करने के क्रम में चिट कारबार का और विकास करने के लिए तथा चिटों के अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिए संस्थागत और विधिक ढांचे में सुधारों के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी ।

3. वित्त (सोलहवीं लोक सभा) पर संसदीय स्थायी समिति ने, एकीकृत विनिधान स्कीम (सीआईएस), चिट फंड इत्यादि के विनियमन की प्रभावोत्पदकता पर अपनी इक्कीसवीं रिपोर्ट में भी रजिस्ट्रीकृत चिट फंड सेक्टर को सुदृढ़ किए जाने और सरल तथा कारगर बनाने के लिए विधायी और प्रशासनिक प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की सिफारिश की थी । इसके अतिरिक्त उक्त समिति ने इक्कीसवीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर अपनी पैतीसवीं रिपोर्ट में चिट फंड सेक्टर के लिए विधायी और प्रशासनिक प्रस्तावों को शीघ्रता से निश्चित करने की आवश्यकता की सिफारिश की थी ।

4. चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018 को लोक सभा में तारीख 12 मार्च, 2018 को पुर:स्थापित किया गया था । इस विधेयक की जांच एवं रिपोर्ट के लिए इसे तारीख 27 अप्रेल, 2018 को वित्त संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था । इस समिति ने उक्त विधेयक संबंधी अपनी रिपोर्ट 9 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत की थी । तथापि उक्त समिति की सिफारिशों की जांच होने के पहले ही सोलहवीं लोक सभा की कार्यावधि समाप्त हो गई और यह विधेयक व्यपगत हो गया । अब इस रिपोर्ट की जांच के उपरांत इस समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 में शामिल किया गया है ।

5. चिट फंड सेक्टर के सुव्यवस्थित विकास को सुकर बनाने के लिए चिट फंड उद्योग के समक्ष आ रही अड़चनों को दूर करने तथा लोगों तक बेहत्तर वित्तीय पहुंच को समर्थ बनाने के लिए, चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए हैं, अर्थात् :--

(क) धारा 2 के खंड (ख) में "बंधुता फंड", "आवर्ती बचत और प्रत्यय संस्था" शब्दों को अंत:स्थापित किया गया है जो "चिट" को परिभाषित करते हैं और उन्हें धारा 11 में भी, उसकी स्वाभाविक प्रकृति को संज्ञापित करने और "इनामी चिट" जो पृथक विधान के अधीन प्रतिबंधित है, से उसके कार्यकरण का भेद करने के लिए अंत:स्थापित किए गए हैं ;

(ख) अवैध इनामी चिट के संबंध में भ्रम को दूर करने के क्रम में, अधिनियम में क्रमश: "चिट रकम", "लाभांश" और "इनामी रकम" पदों के स्थान पर "सकल चिट रकम", "बट्टे का अंश" और "शुद्ध चिट रकम" पद रखे जाएंगे ;

(ग) व्यष्टियों के लिए संकलित चिट रकम की अधिकतम सीमा को एक लाख रुपये से पुनरीक्षित कर तीन लाख रुपये करना और फर्मों के लिए छह लाख रुपये से पुनरीक्षित कर अट्ठारह लाख रुपये करना जो 2001 से पुनरीक्षित नहीं की गई है;

(घ) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन यथाअपेक्षित दो अभिदाताओं की या तो व्यक्तिगत रुप से या प्रधान द्वारा सम्यक रुप से रिकार्ड की गई विडियो कान्फ्रैसिंग के माध्यम से आज्ञापक अनुपस्थिति को अनुज्ञात करना;

(ड.) जहां दो अभिकर्ताओं को विडियो कान्फ्रैसिंग के माध्यम से अनुपस्थिति आज्ञापक हो वहां ड्रा की तारीख से दो दिवस के भीतर उनके द्वारा कार्यवाहियों के कार्यवृत्त हस्ताक्षरित किए जाने चाहिए ;

(च) धारा 21 के अधीन प्रधान के कमीशन की अधिकतम सीमा को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत करना ;

(छ) प्रधान को, अन्य गैर-इनामी चिटों के जमा अतिशेष के लिए धारणाधिकार रखने के लिए समर्थ बनाना, ;

(ज) धारा 85 के खंड (ख) का संशोधन करना, जिससे राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा ऐसी रकम विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदत्त की जा सके, जिस तक कोई चिट फंड अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त होगा ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
31 जुलाई, 2019

निर्मला सीतारमण

उपाबंध

चिट फंड अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम संख्यांक 40) से उद्धरण

* * * * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

* * * * * * *

(ख) "चिट" से कोई ऐसा संव्यवहार अभिप्रेत है, चाहे वह चिट, चिट फंड, चिट्टी, कुरी या किसी अन्य नाम से पुकारा जाता हो, जिसके द्वारा या जिसके अधीन कोई व्यक्ति, व्यक्तियों की किसी विनिर्दिष्ट संख्या के साथ यह करार करता है, कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित अवधि में कालिक किस्तों के रूप में एक निश्चित धनराशि का (या उसके बदले में अनाज की निश्चित मात्रा का) अभिदाय करेगा और ऐसा प्रत्येक अभिदाता अपनी बारी पर, जो लाट द्वारा या नीलामी द्वारा या निविदा द्वारा या चिट करार में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अन्य रीति से अवधारित हुई हो, इनामी रकम पाने का हकदार होगा ।

स्पष्टीकरण–इस खण्ड के अर्थ में, कोई संव्यवहार चिट नहीं है यदि ऐसे संव्यवहार में,–

(i) अभिदाताओं में से केवल कुछ ही अभिदाता आगामी अभिदायों का संदाय करने के किसी दायित्व के बिना इनामी रकम प्राप्त करते हैं, किन्तु सब नहीं ; या

(ii) सभी अभिदाता बारी-बारी से चिट की रकम आगामी अभिदायों का संदाय करने के दायित्व के साथ प्राप्त करते हैं ;

* * * * * * *

(घ) "चिट रकम" से सभी अभिदाताओं द्वारा चिट की किसी किस्त के लिए, बट्टे की कोई कटौती किए बिना या अन्यथा, संदेय अभिदायों की कुल रकम अभिप्रेत है ;

* * * * * * *

(ज) "लाभांश" से बट्टे की उस रकम में, जो चिट करार के अधीन चिट की प्रत्येक किस्त पर अभिदाताओं के बीच आनुपातिक वितरण के लिए उपलब्ध हो, अभिदाता का शेयर अभिप्रेत है ;

* * * * * * *

(ड) "इनामी रकम" से चिट रकम और बट्टे के बीच का अन्तर अभिप्रेत है और टिकट के किसी प्रभाग की दशा में, चिट रकम और टिकट के उस प्रभाग के आनुपातिक बट्टे के बीच का अन्तर अभिप्रेत है तथा जब इनामी रकम नकद से भिन्न रूप में संदेय है तब इनामी रकम का मूल्य तब का मूल्य होगा जब वह संदेय हो जाता है ;

* * * * * * *

"चिट", "चिट फंड", "चिट्टी" या "कुरी" शब्दों का प्रयोग ।

11. (1) कोई भी व्यक्ति चिट कारबार तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह अपने नाम के भाग के रूप में, "चिट", "चिट फंड", "चिट्टी" या "कुरी" शब्दों में से किसी शब्द का प्रयोग नहीं करता है और चिट कारबार करने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई भी व्यक्ति अपने नाम के भाग के रूप में ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं करेगा ।

(2) जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ पर,–

(क) कोई व्यक्ति अपने नाम के भाग के रूप में ऐसे शब्दों में से, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं, किसी शब्द का प्रयोग किए बिना चिट कारबार कर रहा है ; या

(ख) कोई ऐसा व्यक्ति जो चिट कारबार नहीं कर रहा है, अपने नाम के भाग के रूप में ऐसे किसी शब्द का प्रयोग कर रहा है,

वहां वह ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के भीतर, यथास्थिति, ऐसे किसी शब्द को अपने नाम के भाग के रूप में जोड़ लेगा या ऐसे शब्द को अपने नाम में से हटा देगा :

परन्तु यदि राज्य सरकार लोक हित में या किसी कठिनाई से बचने के लिए आवश्यक समझती है तो वह एक वर्ष की उक्त अवधि को, ऐसी अतिरिक्त अवधि या अवधियों के लिए बढ़ा सकेगी जो कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक न हो ।

* * * * * * *

चिटों की कुल रकम ।

13. (1) कोई प्रधान, जो फर्म या अन्य व्यष्टि-संगम या कम्पनी या सहकारी सोसाइटी से भिन्न हो, ऐसी चिटों का प्रारम्भ या संचालन नहीं करेगा जिसकी कुल चिट रकम किसी समय पर एक लाख रुपए से अधिक हो जाती है ।

(2) जहां प्रधान कोई फर्म या अन्य व्यष्टि-संगम है वहां उस फर्म या अन्य संगम द्वारा संचालित चिटों की कुल चिट रकम किसी भी समय पर,—

(क) जहां फर्म के भागीदारों या संगम गठित करने वाले व्यष्टियों की संख्या चार से कम नहीं है वहां छह लाख रुपए की राशि से अधिक नहीं होगी ;

(ख) किसी अन्य दशा में, प्रत्येक ऐसे भागीदार या व्यष्टि के सम्बन्ध में एक लाख रुपए के आधार पर संगणित राशि से अधिक नहीं होगी ।

* * * * * * *

चिटों का संचालन करने की तारीख, समय और स्थान ।

16. (1) * * * * * *

(2) प्रत्येक ऐसा इनाम चिट करार के उपबंधों के अनुसार और कम से कम दो अभिदाताओं की उपस्थिति में संचालित किया जाएगा ।

* * * * * * *

कार्यवाहियों के कार्यवृत्त ।

17. (1) प्रत्येक इनाम निकालने की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त इनाम निकालने की समाप्ति के तुरन्त बाद तैयार किए जाएंगे और उस प्रयोजन के लिए रखी जाने वाली बही में दर्ज किए जाएंगे और उन पर प्रधान द्वारा, इनामी अभिदाताओं द्वारा, यदि वे उपस्थित हों, या उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा और कम से कम दो ऐसे अन्य अभिदाताओं द्वारा जो उपस्थित हों और जहां धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन निदेश दिया गया है वहां रजिस्ट्रार द्वारा या उस उपधारा के अधीन उसके द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्ति द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

* * * * * * *

प्रधान के अधिकार ।

21. (1) प्रधान–

* * * * * * *

(ख) ऐसी रकम का, जो चिट रकम के पांच प्रतिशत से अधिक न हो, और जो चिट करार में नियत की जाए, कमीशन, पारिश्रमिक के रूप में या चिट चलाने

के व्यय को पूरा करने के लिए हकदार होगा ;

* * * * * * *

(च) व्यतिक्रमी अभिदाताओं के स्थान पर दूसरे अभिदाताओं को रखने का हकदार होगा ; और

* * * * * * *

अधिनियम का कुछ चिटों को लागू न होना ।

85. इस अधिनियम की कोई भी बात,–

* * * * * * *

(ख) किसी ऐसी चिट के सम्बन्ध में जिसकी रकम, या जहां दो या अधिक चिटें एक ही प्रधान द्वारा एक साथ प्रारंभ की गई या संचालित की गई हैं वहां उनकी कुल रकम एक सौ रुपए से अधिक नहीं है,

लागू न होगी ।

* * * * * * *

MGIPMRND—2326LS(CRC)—01-08-2019.